कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय – मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु – 575 001
द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

असाधारण महा सभा की सूचना दिनांकित 02 सितंबर 2015 का परिशिष्ट

सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु – 575 001 में सोमवार 28 सितंबर, 2015, प्रात: 11.00 बजे को आयोजित होनेवाली असाधारण महासभा की सूचना दिनांकित 02 सितंबर, 2015 की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आगे यह सूचना दी जाती हे कारोबार की निम्नवत मद को उपरोक्त सूचना में नई मद सं. 2 के रूप में शामिल किया जाएगा ।

मद संख्या 2

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 20, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 (उसमें किसी आशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (**बैंक**) के निदेशक मण्डल (यत्पश्चात् "**निदेशक मंडल**" कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझा जाएगा, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी के अधीन, एतद्द्वारा बैंक की ओर से प्रति ईक्विटी शेयर **₹ 48.78** के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 2/- (रुपए दो मात्र) के अर्थात् **₹ 50.78** की इश्यू कीमत पर बैंक के **2,81,60,693** ईक्विटी शेयर जिसकी कुल राशि ₹ 142,99,99,990.54/- (रुपए एक सौ बयालीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हज़ार नौ सौ नब्बे और चौवन पैसे मात्र)(प्रीमियम राशि सहित) को भारतीय जीवन बीमा निगम को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, (अर्थात् **सेबी आईसीडीआर विनियम**) के अध्याय VII के विनियम 76 के अनुसार बोर्ड के निर्णयानुसार अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है।''

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनिमयों के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य के निर्धारण के लिए नियत तारीख 28 अगस्त, 2015 होगी।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्स्चेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम करने हेतु तथा उक्त ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई और संदेश को निपटाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए। इसके अलावा उसे ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम आवश्यक, वांछनीय और अनिवार्य दस्तावेज़ों और कागज़ात को अंतिम रूप देकर निष्पादित करने जो कि निदेशक मंडल के पूर्ण विवेक में उपयुक्त, उचित और वांछनीय हों, इसके लिए उन्हें शेयरधारकों से अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन माँगना न पड़े और वे इस प्रकार प्राधिकृत हों मानो इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने उन्हें स्पष्टतया अनुमोदन दिया हो।"

Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD, MANGALURU – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

ADDENDUM TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE DATED 02ND SEPTEMBER, 2015

Attention of the members is invited to Notice dated 02nd September, 2015 convening Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, 28th September, 2015 at 11.00 a.m. at Millennium Building , Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple road, Pandeshwar, Mangaluru - 575 001

Notice is further given that the following item of business shall be included in the aforesaid notice as a new Item No. 2 :

Item No. 2

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (the Scheme), Clause 23 & other related provisions of the Listing Agreement for Equity entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and the other Rules/ Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank)** (hereinafter referred to as the **"Board",** which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) be and is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot upto **2,81,60,693** equity shares of ₹2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium of **₹48.78** per equity share i.e. issue price of **₹50.78** as determined by the Board in accordance with Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (the **SEBI ICDR Regulations**) and aggregating up to ₹142,99,99,990.54 (Rupees One Hundred forty two crore Ninety Nine lakh Ninety Nine thousand Nine Hundred Ninety and paise Fifty four only) (inclusive of premium amount) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India.**"**

"RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for the determination of the price of the securities shall be 28th August 2015 in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under the SEBI ICDR Regulations. The Equity shares so allotted on Preferential basis shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले करने और पूर्वोक्त ईक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, जारी करने और आबंटन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न या संदेह को जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक समझें निपटाने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मण्डल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।"

व्याख्यात्मक कथन

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं (सूचना दिनांकित 02.09.2015 में जारी व्याख्यात्मक कथन के अलावा):

I. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का उद्देश्य

पिछले कई वर्षों से बैंक 20% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। दीर्घावधि स्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने हेतु तथा बोर्ड के निर्णयानुसार तथा पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, बैंक सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 **(सेबी आईसीडीआर विनियम)** के विनियम 76 (ख) और 76 (4) अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित **₹ 50.78/-** (प्रीमियम सहित) की कीमत पर **2,81,60,693** ईक्विटी शेयर अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है ।

इस प्रकार अधिमान आबंटन द्वारा दी जानी वाली पूँजी का उपयोग किसी भी रूप में, किसी अनुषंगी या संयुक्त उद्यम में निवेश करने के लिए बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा ।

II. उक्तऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों / निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

खण्ड (V) में उल्लिखत भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक के प्रवर्तकअर्थात भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) (कारोबार बैठक की मद सं. 1 के अनुसार) के अलावा किसी निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है ।

III. प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न (बैठक की सूचना की मद सं. 1 सहित):

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %
1.	**प्रवर्तक – भारत के राष्ट्रपति**	53,05,25,885	63.33	**68,71,41,382**	**67.20**
2.	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	18,87,87,055	22.54	**21,69,47,748**	**21.22**
3.	**अन्य शेयरधारक**	11,83,96,445	14.13	**11,83,96,445**	**11.58**
4.	**कुल (1+2)**	83,77,09,385	100.00	**102,24,85,575**	**100.00**

IV. अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि:

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणामस्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो : (बैठक की सूचना की मद सं. 1 सहित)

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की सं.	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन के बाद वृद्धिशील %
भारत के राष्ट्रपति	53,05,25,885	63.33	15,66,15,497	**68,71,41,382**	**67.20**	**+3.87**
भारतीय जीवन बीमा निगम	18,87,87,055	22.54	2,81,60,693	**21,69,47,748**	**21.22**	**-1.32**

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and to settle any questions or doubts that may arise in regard to the aforesaid offer, issue and allotment of Equity Shares as it may in its absolute discretion deem necessary."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

Explanatory Statement

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations (in addition to earlier Explanatory Statement to Item No. 1 issued in the Notice dated 02.09.2015):

I. The Objects of the proposed Preferential Issue :

The Bank is growing at an average growth rate of around 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board as also to comply with BASEL-III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential issue of upto **2,81,60,693** equity shares at a price of **₹50.78** per share (including premium) determined in accordance with the provisions of Regulation 76(4) Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI ICDR Regulations**")

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Life Insurance Corporation of India and promoter of the Bank i.e. Government of India (President of India) as per item 1 of the Business of the meeting as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer (including item 1 of the Notice of the Meeting):

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of Pre-allotment Paid Up Capital	Post-allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	**Promoter – President of India**	53,05,25,885	63.33	**68,71,41,382**	**67.20**
2.	**Life Insurance Corporation of India**	18,87,87,055	22.54	**21,69,47,748**	**21.22**
3.	**Other Share-holders**	11,83,96,445	14.13	**11,83,96,445**	**11.58**
4.	**Total (1+2)**	83,77,09,385	100.00	**102,24,85,575**	**100.00**

IV. The timeline within which the Preferential issue shall be completed:

The allotment of equity shares on Preferential basis shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue (including item no. 1 of the Notice of the Meeting):

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post-allotment in terms of No. of shares	% of Post-allotment Paid up Capital	Incremental % post-allotment
President of India	53,05,25,885	63.33	15,66,15,497	**68,71,41,382**	**67.20**	**+3.87**
Life Insurance Corporation of India	18,87,87,055	22.54	2,81,60,693	**21,69,47,748**	**21.22**	**-1.32**

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

VI. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन :

इश्यू मूल्य सेबी संशोधित आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76, अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु "संबंधित तारीख" **28 अगस्त 2015** होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् **28 सितंबर 2015** से 30 दिन पूर्व तारीख है ।

बैंक के ईक्विटी शेयर छब्बीस हप्तों से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान लागू नहीं है।

VII. आशय-पत्र

आपके बैंक को संदर्भ संख्या आईएनवी/इक्विटी विभाग दिनांक 11 सितंबर, 2015 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक का एक शेयरधारक से संसूचना प्राप्त हुई है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन द्वारा ₹143 करोड़ (रुपए एक सौ तैंतालीस करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रस्ताव दिया है और इसे 28.09.2015 को संपन्न होनेवाली आगामी असाधारण महा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में हमने प्रस्तावित आंबटिती का स्थाई खाता संख्या प्राप्त किया है।

VIII. सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणन :

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण-पत्र शेयरधारकों की असाधारण महासभा में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है । उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति 28 सितंबर 2015 को असाधारण महासभा में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी ।

IX. निश्चित अवरुद्धता अवधि :

भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्विटी शेयर व्यापार का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि के अधीन होंगे।

X. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर डीमैट रूप में होंगे और स्टॉक एक्स्चेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके साथ सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का बैंक अनुपालन करता है ।

XI. भारतीय जीवन बीमा निगम एक बीमा कंपनी है जो बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण में पंजीकृत है और संबंधित तारीख से छह माह की अवधि के दौरान ईक्विटी शेयरों की बिक्री से संबंधित सेबी आईसीडीआर विनियम 72 (2) के प्रावधानों के अनुसार उसे छूट प्राप्त है।

XII. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य पर होंगे ।

XIII. भारत में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उपबंध है कि जब अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा महासभा में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे । चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अनुसार नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है ।

XIV. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार है:

''केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है ।

XV. आपके निदेशक उक्त संकल्प के अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं ।

XVI. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हितबद्ध माना जाए ।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 14.09.2015

(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

The existing promoters of the Bank i.e. Government of India (the President of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotments.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with Regulation 76(4), Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations as amended upto date.

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant equity shares is **28th August, 2015**, being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. **28th September, 2015**.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

VII. Letter of Intent:

Your Bank has received a communication vide reference Number Inv/Equity Section dated 11th September, 2015 from the Life Insurance Corporation of India, a shareholder of the Bank, proposing to infuse capital to the extent of ₹143 Crore (Rupees One Hundred Forty Three Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of Life Insurance Corporation of India and to place the same before the ensuing Extraordinary General Meeting to be held on 28.09.2015. In this regard we have obtained the Permanent Account Number of the proposed allottee.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

The Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. The copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 28th September, 2015.

IX. Lock-in period:

The equity shares proposed to be issued on preferential basis to Life Insurance Corporation of India shall be subject to a lock-in period of one year from the date of Trading approval.

X. All the shares held by the Life Insurance Corporation of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

XI. Life Insurance Corporation of India being Insurance Company Registered with Insurance Regulatory and Development Authority, is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non-selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

XII. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

XIII. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than on pro rata basis to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations.

XIV. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of the shares held by them in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank", and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, to pass the above Resolution as a **Special Resolution**.

XV. Your Directors recommend the resolution for your approval.

XVI. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place : Mangaluru
Date : 14.09.2015

(S K DASH)
COMPANY SECRETARY

बुक पोस्ट
BOOK POST

TO

अवितरित होने पर कृपया निम्न पते पर लौटाएं:
मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
यूनिट: कार्पोरेशन बैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी.
प्लाट नं. 31-32, गाचीबावली
वित्तीय जिला
नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

If undelivered please return to:
M/S KARVY COMPUTERSHARE PVT. LTD.
Unit: Corporation Bank
Karvy Selenium Tower B.
Plot No. 31-32, Gachibowli
Financial District
Nanakramguda
Hyderabad – 500 032